

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित हैं, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को “जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है” के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

Sr. No.	शाखा का नाम:	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(E) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (F) मांग नोटिस के अनुसार राशि (G) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
	खाते का नाम:						
	उधारकर्ता/ गारंटर/ खाते का नाम और पता:						
1.	पीएनबी शाखा बसंत कुंज नई दिल्ली (411400) मैसर्स टी.एस. चड्ढा एंड कंपनी मालिक – विक्रमजीत सिंह चड्ढा, मकान संख्या 148-ए, निचला भूतल, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029। इसके अलावा: – श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी श्री तारा चंद चड्ढा, मकान संख्या 148/ए, ऊपरी भूतल, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029। इसके अलावा: – श्री विक्रमजीत सिंह चड्ढा, मकान संख्या 148-ए, ऊपरी भूतल, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029।	1. श्रीमती गुरमीत कौर के नाम पर स्थित निर्मित संपत्ति, मकान नंबर 148/A, गली नंबर 29, अर्जुन नगर, नई दिल्ली-110029 के निचले भूतल (लोअर ग्राउंड फ्लोर) का संपूर्ण भाग एवं हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 82 वर्ग गज है। 2. श्रीमती गुरमीत कौर के नाम पर स्थित निर्मित संपत्ति, मकान नंबर 148/A, गली नंबर 29, अर्जुन नगर, नई दिल्ली-110029 के तृतीय तल (थर्ड फ्लोर) का संपूर्ण भाग एवं हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 82 वर्ग गज है।	E) 22.10.2018 F) 30.72 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 12.02.2019 H) भौतिक	A) रु. 37.40 लाख B) रु. 3.74 लाख C) रु. 50000/ A) रु. 34.00 लाख B) रु. 3.40 लाख C) रु. 50000/	26.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरार्ध 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एस.ए. दाखिल किया गया है, लेकिन कोई रोक नहीं लगाई गई है। S A - 1 0 / 2 0 2 0 डीआरटी-आर, दिल्ली, श्रीमती गुरमीत कौर द्वारा दाखिल। * बैंक दोनों मॉडलों को खरीदने वाले नीलामी क्रेता को बंधक संपत्ति के मूल स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड) की मूल चेन उपलब्ध कराएगा।	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426
2.	शाखा कार्यालय: कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली (080210) मैसर्स गोयल इंडस्ट्रीज (प्रोपराइटर – श्री अनुज गोयल) 8348, भूतल, नई अनाज मंडी, रानी झोंसी रोड, फिल्मिस्तान सिनेमा के पास, दिल्ली-110006। इसके अतिरिक्त: श्री अनुज गोयल, पुत्र स्वर्गीय श्री ईश्वर चंद गोयल 8357 / 2, प्रथम तल, न्यू मॉडल बस्ती, महाराजा अग्रसेन मार्ग, फिल्मिस्तान सिनेमा के पास, दिल्ली-110006 इसके अतिरिक्त: श्री अनुज गोयल, पुत्र स्वर्गीय श्री ईश्वर चंद गोयल प्लॉट नंबर 9, फ्लैट नंबर 106, प्रथम तल, ब्लॉक-E, 16 / 849, आनंद एस्टेट, जोशी रोड, करोल बाग, दिल्ली-110006 इसके अतिरिक्त: श्रीमती राज रानी गोयल, पत्नी स्वर्गीय श्री ईश्वर चंद गोयल 8357 / 2, प्रथम तल, न्यू मॉडल बस्ती, महाराजा अग्रसेन मार्ग, फिल्मिस्तान सिनेमा के पास, दिल्ली-110006 इसके अतिरिक्त: श्रीमती अनू गोयल, पत्नी श्री अनुज गोयल 8347 / 48, तीसरी मंजिल, नई अनाज मंडी, एम.एम. रोड, सदर थाना, दिल्ली-110006	1. संपूर्ण आईपी नगर निगम संख्या 8348 का समस्त भाग एवं अंश, जो नई अनाज मंडी, बाड़ा हिंदू राव के निकट, फिल्मिस्तान सिनेमा के पास, दिल्ली-110006 में स्थित है। उक्त संपत्ति में भूतल पर स्थित एक दुकान शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 25.66 वर्ग गज अर्थात 21.45 वर्ग मीटर है। इस दुकान के साथ छत का अधिकार शामिल नहीं है तथा यह श्रीमती अनू गोयल, पत्नी श्री अनुज गोयल के नाम पर है। 2. संपूर्ण आईपी नगर निगम संख्या 8347 / 48 का समस्त भाग एवं अंश, जो नई अनाज मंडी, एम.एम. रोड, सदर थाना, दिल्ली-110006 में स्थित है। उक्त संपत्ति द्वितीय तल पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 63.05 वर्ग गज अर्थात 53.09 वर्ग मीटर है। इस संपत्ति के साथ छत/टेरेस का अधिकार शामिल नहीं है तथा यह श्रीमती राज रानी गोयल के नाम पर है। 3. संपत्ति, संपूर्ण आईपी नगर निगम संख्या 8347 / 48 का समस्त भाग एवं अंश, जो नई अनाज मंडी, एम.एम. रोड, सदर थाना, दिल्ली-110006 में स्थित है। उक्त संपत्ति तृतीय तल पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 63.5 वर्ग गज अर्थात 53.09 वर्ग मीटर है। इस संपत्ति के साथ छत का अधिकार भी शामिल है तथा यह श्रीमती अनू गोयल के नाम पर है।	E) 17.03.2023 F) 105.27 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 06.06.2023 H) सांकेतिक	A) रु. 113.05 लाख B) रु. 11.30 लाख C) रु. 100000/ A) रु. 56.10 लाख B) रु. 5.61 लाख C) रु. 100000/- A) रु. 56.95 लाख B) रु. 5.70 लाख C) रु. 100000/-	26.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरार्ध 04.00 बजे	कोई एस ए लंबित नहीं है ***** *** आगे यह सूचित किया जाता है कि कोई भी एस.ए. लंबित नहीं है। अवैध निर्माण के कारण उक्त अचल संपत्ति (आई. पी.) को उपायुक्त, एमसीडी, सिटी सदर, पहाड़गंज, दिल्ली द्वारा सील कर दिया गया था। हालांकि, वर्तमान में मकान खुला हुआ है तथा उस पर बंधककर्ता/विधायकद्वारा का कब्जा है।	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426
3.	1. पीएनबी, शाखा कार्यालय: साउथ एक्सटेंशन-। (014410) मैसर्स एफोर्ड फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड निदेशक: 1. श्री अश्वनी दीक्षित 2. श्रीमती नीरजा दीक्षित 3. श्री रजत कुमार अरोड़ा, पंजीकृत कार्यालय का पता: 38 / 2 / 4, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-4, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त पता: पी-101, पांडव नगर, मयूर विहार, फेज-।, दिल्ली-110091। गारंटर/बंधककर्ता 1. श्रीमती नीरजा दीक्षित (गारंटर एवं बंधककर्ता) एजी-08, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201007। इसके अतिरिक्त पता: फ्लैट नंबर 108-सी, प्रथम तल, टावर नंबर 08, मेपल बुड, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, ग्राम करहेड़ा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद। 2. श्री अश्वनी दीक्षित (गारंटर एवं बंधककर्ता) एजी-08, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201007। इसके अतिरिक्त पता: फ्लैट नंबर 108-सी, प्रथम तल, टावर नंबर 08, मेपल बुड, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, ग्राम करहेड़ा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद। 3. श्री रजत कुमार अरोड़ा (गारंटर) एल-5 / 601, गुलमोहर गार्डन, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद-201001।	1. फ्लैट नंबर 108-सी का साम्यिक बंधक, प्रथम तल, टावर नंबर 08, मेपल बुड, गुलमोहर ग्रीन्स, मोहन नगर, ग्राम करहेड़ा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित जो श्रीमती नीरजा दीक्षित के नाम पर है। नोट: उपरोक्त संपत्ति से संबंधित मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है तथा उक्त संपत्ति के मूल दस्तावेज सीबीआई प्राधिकरण के पास रखे गए हैं।	E) 08.01.2025 F) 911.17 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 31.05.2025 H) भौतिक	A) रु. 85.00 लाख B) रु. 8.50 लाख C) रु. 100000/-	26.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरार्ध 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर कोई एस ए दावर नहीं है और न ही कोई रोक है।	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://baanknet.com>) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220), द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन / प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों / वेब पेज पोर्टल (1) <https://baanknet.com> (2) www.pnbindia.in पर उपलब्ध / प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेय 75: जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को “जहां है जैसी है” और “जो है जैसी है” तथा “जो भी है जैसी है” के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुख्या हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> & www.pnbindia.in देखें।